

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, भदोही (भदोही), एटा (एटा) तथा साण्डी (हरदोई)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों के अनुसार प्रदेश की 03 नागर स्थानीय निकायों में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल ₹ 116.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 58.00 (₹ अठ्ठावन लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1.	भदोही	नगर पालिका परिषद, भदोही	36.16	36.16	18.00
2.	एटा	नगर पालिका परिषद, एटा	40.00	40.00	20.00
3.	हरदोई	नगर पालिका परिषद, साण्डी	39.90	40.00	20.00
		<b>योग</b>		<b>116.16</b>	<b>58.00</b>

( ₹ अठ्ठावन लाख मात्र)

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- (2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (3) आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. /डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (4) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त आगणन में प्रस्तावित धनराशि को सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।
- (5) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा ₹0 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (6) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (7) कार्य की विशिष्टताओं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकायों/कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

- (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
- (9) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2015 तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (12) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

( उमा शंकर सिंह )

संयुक्त सचिव।

संख्या-80/2015/867 (1)/नौ-5-15-358बजट/2014-6, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )

संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-80/2015/867/नौ-5-15-358बजट/2014-6 दिनांक 18 मार्च, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	भदोही	नगर पालिका परिषद्, भदोही	1. भदोही-ज्ञानपुर मार्ग के पश्चिमी पटरी पर कुश्चिरा मोड से नेशनल तिराहे की तरफ नारायण पुस्तक भवन/नगर पालिका सीमा तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	18.48		
			2. भदोही-ज्ञानपुर मार्ग के पश्चिमी पटरी पर स्थित कुश्चिरा मोड से टेलीफोन एक्सचेंज तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	17.68		
			योग	36.16	36.16	18.00
2.	एटा	नगर पालिका परिषद्, एटा	1. पीपल अड्डा सहावर रोड पर शेष नाले के आंशिक भाग का निर्माण कार्य।	20.00		
			2. जेलरोड पर कॉर्पोरेटिव बैंक की पुलिया से पुलिस लाइन के गेट तक नाला पुनः निर्माण कार्य।	20.00		
			योग	40.00	40.00	20.00
3.	हरदोई	नगर पालिका परिषद् साण्डी	1. मो० नौशाहरा में रामनिवास के मकान से हनुमन्तन टोला तक नाला निर्माण मय पटान।	10.30		
			2. मो० सैयदबाड़ा से गगाराम के मकान से लालराम के खेत तक नाला निर्माण मय पटान।	5.03		
			3. मो० परिजादा में वजीर के मकान से अनिल राजपूत के मकान तक नाला निर्माण मय पटान।	8.71		
			4. मो० औलादगंज में अनिल राजपूत के मकान से वाल्मीकि पुलिया तक नाला निर्माण मय पटान	15.86		
			योग	39.90	40.00	20.00
			महायोग (1+3)		116.16	58.00

(रु० अठ्ठावन लाख मात्र)

( उमा शंकर सिंह )  
संयुक्त सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015  
आवंटन दिनांक-18/03/2015


प्रेषण संख्या:- 80-2015  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-80-2015-867-9-5-15-358Budget-2014-6  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता  
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय  
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	एटा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
2	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
3	संत रविदास नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 8800000	1800000 8800000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5800000 12800000	5800000 12800000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठ्ठावन लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ अठाईस लाख

  
(उमा शंकर सिंह)  
संयुक्त सचिव